

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबंध

नियम 117 : नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का अग्रेषण

- (1) धारा 140 के अधीन निवेश कर के प्रत्यय को लेने का अधिकार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में सम्यक रूप से हस्ताक्षर कर समान्य पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से ¹[धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के] निवेश कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि जहां निवेश निर्यात उद्देश्यित इकाई या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क में अवस्थित इकाई से प्राप्त हुआ है, वहां प्रत्यय सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का उपनियम (7) में यथाउपबंधित सीमा तक अनुज्ञेय होगा।

- ²[(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाईयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में **प्ररूप जीएसटीआरएन-1** में इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक, जो ³[31 मार्च, 2020] से आगे नहीं होगी, बढ़ा सकेगा।]

- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में—

(क) धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी—

(i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम; और

(ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम; और

¹ अधिसूचना क्रमांक 15/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

² अधिसूचना क्रमांक 48/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.09.2018 द्वारा उप-नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.09.2018)।

³ अधिसूचना क्रमांक 2/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा “A[31 दिसम्बर, 2019]” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2019)।

A इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 49/2019 — केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा “31 मार्च, 2019” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने की तारीख या कोई दस्तावेज जिसके आधार पर निवेश कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था;
 - (ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;
 - (iii) माल की दशा में मात्रा और उस पर इकाई या इकाई मात्रा कोड;
 - (iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्य-वर्धित कर या (प्रवेश शुल्क) जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है; और
 - (v) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है।
- (3) प्ररूप जीएसटी ट्रान्-1 में आवेदक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम *सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-02 में रखे गए आवेदन के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी।
- (4) (क) (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, धारा 140 की उपधारा (3) के परन्तुक के अनुसरण में नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल जिसके बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदाय करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है माल पर निवेश कर प्रत्यय को लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा (जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या यथास्थिति सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमा-शुल्क की अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहीत है)।
- (ii) उपखंड (i) में निवेश कर प्रत्यय ऐसे माल पर जिस पर केन्द्रीय कर नौ या अधिक प्रतिशत की दर से है, छह: प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगा और नियत दिन के पश्चात् ऐसे माल के प्रदाय पर लागू केन्द्रीय कर का अन्य माल पर चालीस प्रतिशत की दर से होगा तथा ऐसे प्रदाय के संदत्त किए जाने पर केन्द्रीय कर के संदाय के पश्चात् प्रत्ययित किया जाएगा :
- परन्तु यह कि जहां समेकित कर माल पर संदत्त है वहां प्रत्यय की रकम तीस प्रतिशत और उक्त कर के बीस प्रतिशत की दर से क्रमशः अनुज्ञेय होगी;
- (iii) यह स्कीम नियत दिन से छह: कर अवधियों के लिए उपलब्ध होगी।
- (ख) केन्द्रीय कर का प्रत्यय निम्नलिखित दशाओं को पूरा करने के अध्यधीन प्राप्य होंगी, अर्थात् :-
- (i) ऐसा माल केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के संपूर्ण शुल्क से अप्रतिबंध रूप से छूट प्राप्त नहीं होगा या उक्त अनुसूची में शून्य दर नहीं होगा;

* राजपत्र में "समान" छपा है।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ii) ऐसे माल के प्रापण के लिए दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध है;
- ⁴[(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और उप-नियम (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा रखे गए माल के ब्यौरे 31 मार्च, 2018 तक या ऐसी अवधि के भीतर जैसा परिषद् की सिफारिशों पर आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए, प्ररूप जीएसटी ट्रान-2 में छह कर अवधियों के प्रत्येक के लिए जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे उसमें उपदर्शित करते हैं, कथन प्रस्तुत करेगा;]
- ⁵[परन्तु उपनियम (1क) के अनुसार प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ⁶[30 अप्रैल, 2020] तक प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे;] (iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम समान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-2 में रखे गए आवेदक के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी; और
- (v) माल का स्टॉक जिसको प्रत्यय उपलब्ध है, इस प्रकार भंडारित है कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 12/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा खंड (iii) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 07.03.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का ब्यौरा प्ररूप जीएसटी ट्रान-2 छह: कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित माल की ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे इंगित करते हैं कथन प्रस्तुत करेगा।"

⁵ अधिसूचना क्रमांक 48/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.09.2018)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 2/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा "A[31 जनवरी, 2020]" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2020)।

A इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 49/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा "30 अप्रैल, 2019" के स्थान पर प्रतिस्थापित।